

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Beekhabhai.

(iii) INCREASING FOREST WEALTH WITH THE SLOGAN "BIRTHDAY TREE" SCHEME.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक संसाधनों की अतुल सम्पदा मानव के उपयोग के लिए बनी है। परन्तु इन संसाधनों का उपयोग इतना अतिविकी एवं अत्यधिक नहीं हो कि मानव एवं जीवन सम्पदा की आस्था ही खतरे में पड़ जाए। इस दृष्टि से वन सम्पदा का आज के युग में अत्यन्त महत्व है। परन्तु यह एक खेद का विषय है कि आज इस सम्पदा के बारे में हम इतने जागरूक नहीं हैं।

अभी हाल ही के वर्षों में जन-संख्या की शहरी बढ़ौत्तरी के कारण हमने बहुत सी जगहों पर अपनी इस वन सम्पदा को नष्ट किया है। यह विषय कितना हास्यास्पद हो गया है कि जहां एक और बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने की हमें सखी आवश्यकता है वहां दूसरी ओर इस सम्पदा को नष्ट किया जाए। इस बारे में तुरन्त ही हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी।

वैसे तो वनों के बहुत से लाभ कालान्तर से ही सर्वविदिता हैं तथापि आज के प्रदूषणयुक्त वातावरण में इनका अधिक महत्व है। अगर हमें मानव या अन्य जीवों को इस धरती पर फलते फूलते देखना है तो हमें वनों का विकास एवं रखरखाव अवश्य ही करना होगा।

अभी हाल में इन बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व के कई देशों में अधिवेशन आदि हुए हैं। केन्या का

राजधानी नेरोबी में 20 मई से 2 जून तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू० एन० आई० पी०) का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उस में वन सम्पदा की निरंतर वृद्धि में जोर दिया गया। इस विशेष अधिवेशन के साथ ही आरंभ हुई एक अनोखी परियोजना जिस का नाम है "हर बच्चे के लिए एक-एक पेड़"। नए वृक्ष रोपने एवं पालन पोषण के काम में लोगों को निजी दिलचस्पी और निष्ठा पैदा करने का यह एक सुन्दर उपाय है। इसके लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि बच्चे के जन्म दिन के साथ-साथ एक वृक्ष रोपा जाय और फिर उसको पाला जाय। इस तरह से ये "जन्म दिन "वृक्ष" योजना फलीभूत होगी।

मेरा विचार है कि भारत में भी हमें ऐसे ही इस योजना को क्रियान्वित करना चाहिए। इस बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य वांछनीय है। पोस्टर आदि का इंतजाम किया जाना चाहिए और लोगों को जंगलत के बारे में अधिकतम जानकारी देनी चाहिए।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर तुरन्त ध्यान देवे।

(iv) ALLEGED CLOSURE OF LARGE NUMBER OF DYESTUFF UNITS IN WESTERN MAHARASHTRA AND AHMEDABAD

SHRIMATI SANYOGITA RANE (Panaji): Under Rule 377, I am making the following statement:

It is a matter of grave concern that about 300 dyestuff units have closed down in Western Maharashtra and Ahmedabad due to